




माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R. ५२७५ - II ॥५



उदयसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत

निवासी—ग्राम बज्जाखेड़ा तहसील शाजापुर

जिला शाजापुर (म.प्र.) निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

अबरार खां पिता इब्राहिम खां जाति मुसलमान

इम्तियाज खां पिता इब्राहिम खां जाति

निवासीगण—मीर बजार शाजापुर
उत्तरदाता गण

प्रार्थी क्रमांक १५.१२.१४ अ/क
प्रार्थी क्रमांक ३ अंक ५००/१४
प्रार्थी क्रमांक १५.१२.१४

1)
2)

निगरानी अंतर्गत धारा—50 भू—राजस्व.संहिता

न्याय लय तहसीलदार शाजापुर आदेश क्र.री—2011/350/आदेश दिनांक
06.05.2011 एवं न्यायालय तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस विषय अवैध
क्र. ए—70/13-14 इम्तियाज खां विरुद्ध बाबूलाल तहसीलदार
शाजापुर आदेश दिनांक 19.05.2014 से क्षुब्द व दुखित होकर यह
निगरानी अंदर अवधि पेश की जा रही है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधारों पर निगरानी
प्रस्तुत की जा रही है—

संक्षिप्त तथ्य

यह कि अबरार खां के द्वारा सर्व नं. 806 रकमा 0.59
हैफटर भूमि के सीमांकन के संबंध में आवेदन तहसीलदार महोदय के
यहां प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें सुनवाई का अवसर निगरानीकर्ता को
नहीं दिया जाकर उक्त आदेश के संबंध में तहसीलदार महोदय ने माह

निगरानी

R 4275-II/14 दिन

23.7.15

साक्षेमना - 766 - फॉर्म-

ब्रेकर्ट के बारे में विवरण
हैं। ब्रेकर्ट के अद्यत्तम उपयोग आवश्यकता वैज्ञानिक
के लिए प्रकल्प और अन्य प्रयोग में विवरण
दिया है। प्रकल्प विवरण दिया है।

228m.